रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 170

No. 203] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 170

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

सं. 31/2018-राज्य कर

सं.फा. 03(16)/वित्त (राज.–1)/2019-20/**डीएस-VI/384.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्होंने दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-26** को पूरा फाइल नहीं किया है, किंतु 31 दिसंबर, 2017 तक केवल अनन्तिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऐसे करदाता" कहा गया है), जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2. ऐसे करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

(i) ऐसे करदाताओं द्वारा नीचे की सारणी के अनुसार ब्यौरे, अधिकार-क्षेत्र वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व फाइल करने होंगे ।

सारणी

1	अनन्तिम पहचान सं.	
2	पूर्वतर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं. (करदाता पहचान सं. (टिन)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.)	
3	तारीख, जिसको पहली बार के लिए टोकन बांटा गया था	
4	क्या पूर्वोक्त **प्ररूप जीएसटी आरईजी-26** के भाग क को क्रियाशील बनाया गया है	हां/नहीं
5	करदाता के संपर्क ब्यौरे	
5क	ईमेल आईडी	
5ख	मोबाइल	
6	सिस्टम में स्थानान्तरण न करने के कारण	
7	अधिकारी की अधिकारिता, जिसने अनुरोध किया है	

(ii) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से ईमेल प्राप्त होने पर, ऐसे करदाताओं को http://www.gst.gov.in/ पर लागइन करके "सर्विसेस" टेब में और दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** में आवेदन भर कर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा ।

(iii) समुचित अधिकारी द्वारा आवेदन का सम्यक् रूप से अनुमोदन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता, माल और सेवा कर नेटवर्क से, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन), एक नए जीएसटीआईएन और नए पहुंच टोकन का उल्लेख करते हुए एक ई-मेल प्राप्त करेंगे ।

(iv) ऐसी प्राप्ति पर, ऐसे करदाताओं से निम्नलिखित ब्यौरे, माल और सेवा कर नेटवर्क को, 30 सितंबर, 2018 को या उससे पूर्व, migration@gstn.org.in पर, देने की अपेक्षा होगी :--

(क) नया जीएसटीआईएन ;

(ख) नए जीएसटीआईएन के लिए पहुंच टोकन ;

(ग) नए आवेदन की आवेदन संदर्भ संख्या ;

(घ) पुराना जीएसटीआईएन (पीआईडी) ।

(v) ऐसे करदाताओं से उपरोक्त जानकारी की प्राप्ति पर, माल और सेवा कर नेटवर्क, नए जीएसटीआईएन को पुराने जीएसटीआईएन से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और ऐसे करदाताओं को सूचित करेगा ।

(vi) ऐसे करदाताओं से, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जनित करने हेतु, सामान्य पोर्टल www.gstn.gov.in पर "पहली बार लाग-इन" के रूप में पुराना जीएसटीआईएन प्रयोग करके लागइन करना अपेक्षित होगा ।

3. ऐसे करदाता 1 जुलाई, 2017 से रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे।

4. यह अधिसूचना 6 अगस्त, 2018 से प्रवर्तित होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2019

No. 31/2018-State Tax

No. F.3 (16)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/384.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons who did not file the complete **FORM GST REG-26** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 but received only a Provisional Identification Number (PID) (hereinafter referred to as "such taxpayers") till the 31st December, 2017 may now apply for Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN).

2. The special procedure to be followed for registration of such taxpayers is as detailed below:-

(i) The details as per the Table below should be furnished by such taxpayers to the jurisdictional nodal officer of the Central Government or State Government on or before the 31st August, 2018.

TABLE

1	Provisional ID	
2	Registration Number under the earlier law (Taxpayer Identification Number (TIN)/Central Excise/Service Tax Registration number)	
3	Date on which token was shared for the first time	
4	Whether activated part A of the aforesaid **FORM GST REG-26**	Yes/No
5	Contact details of the taxpayer	
5a	E-mail id	
5b	Mobile	
6	Reason for not migrating in the system	
7	Jurisdiction of Officer who is sending the request	

(ii) On receipt of an e-mail from the Goods and Services Tax Network (GSTN), such taxpayers should apply for registration by logging onto https://www.gst.gov.in/) in the "Services" tab and filling up the application in **FORM GST REG-01** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017.

(iii) After due approval of the application by the proper officer, such taxpayers will receive an e-mail from GSTN mentioning the Application Reference Number (ARN), a new GSTIN and a new access token.

(iv) Upon receipt, such taxpayers are required to furnish the following details to GSTN by e-mail, on or before the 30th September, 2018, to migration@gstn.org.in:–

(a) New GSTIN;

(b) Access Token for new GSTIN;

(c) ARN of new application;

(d) Old GSTIN (PID).

(v) Upon receipt of the above information from such taxpayers, GSTN shall complete the process of mapping the new GSTIN to the old GSTIN and inform such taxpayers.

(vi) Such taxpayers are required to log onto the common portal www.gstn.gov.in using the old GSTIN as "First Time Login" for generation of the Registration Certificate.

3. Such taxpayers shall be deemed to have been registered with effect from the 1st July, 2017.

4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 06th day of August, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.06 15:49:28 +05'30'